उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-2
संख्या:05/2017/705 /पैतीस-2-2017-3/39(1)/2017
लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित उप निदेशकों को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत नीचे उल्लिखित तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-5 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती :-			
1	गोपाल शर्मा	पटना	वाराणसी मण्डल	इलाहाबाद मण्डल
2	डा0 श्रीनाथ यादव	जौनपुर	प्रभाग मुख्यालय	कानपुर मण्डल
3	संगीता सक्सेना	कानपुर	बरेली मण्डल	अर्थ एवं संख्या प्रभाग मुख्यालय
4	प्रवीण कुमार	जालौन	लखनऊ मण्डल	फैजाबाद मण्डल
5	विनोद कुमार सिंह	गाजीपुर	फैजाबाद मण्डल	लखनऊ मण्डल
6	राम नारायण	हमीरपुर	इलाहाबाद मण्डल	वाराणसी मण्डल
7	भोला राम	गाजीपुर	झाँसी मण्डल	बरेली मण्डल
8	संजय कुमार श्रीवास्तव	बलिया	प्रभाग मुख्यालय	झाँसी मण्डल
9	डा0 शुऐब अहमद	लखनऊ	प्रभाग मुख्यालय	मेरठ मण्डल तथा अलीगढ़ मण्डल का अतिरिक्त प्रभार

2- सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नवीन तैनाती स्थान पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये। यदि किसी अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

अजय यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:05/2017/705(1)/पैतीस-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल/बरेली मण्डल/लखनऊ मण्डल/फैजाबाद मण्डल/इलाहाबाद मण्डल/झाँसी मण्डल/मेरठ मण्डल/अलीगढ़ मण्डल/कानपुर मण्डल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या: 2/2017/1/3/96-का-4-2017, दिनांक 03 मई, 2017 के प्रस्तर- 12 (I), 12 (II) एवं 12(III) का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या), मण्डल कार्यालय वाराणसी/बरेली/लखनऊ//फैजाबाद/ इलाहाबाद/झाँसी/मेरठ/कानपुर।
5. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया स्थानान्तरित अधिकारी के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आगामी माह अगस्त, 2017 का वेतन आहरित न किया जाय।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारियों को हस्तगत कराकर उसकी पावती 03 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराये तथा उक्त आदेश का अनुपालन एक सप्ताह के भीतर कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारी का माह अगस्त, 2017 का वेतन आहरित न किया जाय।
9. सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।